



असम की राजधानी गुवाहाटी में हर मानसून में यही नजारा रहता है, शहर पानी में डूब जाता है और रिक्शे वाले चुटने-चुटने पानी में लोगों लाते-ले जाते हैं।

जिओ सिम लेने के 90 मिनट के अंदर घर पहुंच जायेगा जिओफाई 4जी हॉटस्पॉट

नयी दिल्ली, 23 जून (प्रभात खबर)। टेलीकॉम कंपनियों को दरों में कंभोटिशन पैदा करने वाली रिलायंस जियो ने अपने प्रतिद्वंद्वियों को पछाड़ने के लिए एक और धमाका किया है। वह यह कि रिलायंस जियो ने अपने नये ऑफर के तहत देश के 600 से अधिक शहरों में सिम की डिलीवरी करेगी। इसके साथ ही कंपनी की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि जो कोई भी जियो का सिम खरीदेगा, उसे सिम डिलीवरी के साथ 90 मिनट के अंदर जिओफाई 4जी हॉटस्पॉट की सुविधा भी आप तक पहुंच जायेगी।

कंपनी की ओर से कहा यह जा रहा है कि जो कोई भी रिलायंस जियो की सेवा का लाभ उठाना चाहता है, वह कंपनी की वेबसाइट पर जाकर अपने लिये सिम बुक करा सकता है। सिम बुक कराने के साथ ही कंपनी की ओर से उपभोक्ता को एक पिन दिया जायेगा। ध्यान यह देना जरूरी है कि जियो का सिम बुक कराने के बाद उपभोक्ता अपना पिन चेक कर लें।

बताया जा रहा है कि रिलायंस जियो सिम कार्ड की

घर पहुंच सेवा भारत के 600 से ज्यादा शहरों में दे रही है। इसके लिए इच्छुक जियो के वेबसाइट पर जाकर रिक्रेट डाल सकते हैं। लेकिन, आपके पिन कोड पर डिस्लीवरी है या नहीं ये भी चेक कर लें। इसके बाद ग्राहक द्वारा उपलब्ध करायी गयी ई-मेल आईडी पर ऑफर से संबंधित मेल आयेगा।

गौरतलब है कि कंपनी जियो सिम के घर पहुंच सेवा के लिए आपसे किसी भी तरह के पैसे की वसूली नहीं करेगी। पहले आपको स्वच्छंद्र एप डाउनलोड कर उसमें कूपन जेनेरेट करना होगा, इसके बाद सिम की डिलीवरी के लिए ऑनलाइन अर्वाइटेमेंट लेना होगा। इसके लिए आपको अपना आधार नंबर भी साथ रखना होगा।

इसके अलावा रिलायंस जियो चुनिंदा शहरों में जिओफाई 4जी हॉटस्पॉट की डिलीवरी 90 मिनट से भी कम समय में मुहैया करा रही है। इसके साथ ही पुराना डोगल एक्सचेंज करने पर ग्राहकों को नए जिओफाई के लिए 100 प्रतिशत कैशबैक भी मिलेगा।

गर्भपात के लिए याचिका सुप्रीम कोर्ट ने 7 डॉक्टरों का पैनल गठित किया

नई दिल्ली, 23 जून (एनडीटीवी)। कोलकाता की 24 हफ्ते की गर्भवती महिला के गर्भपात कराने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता में सात डॉक्टरों के पैनल का मेडिकल बोर्ड बनाकर जांच कराने के आदेश दिए। 29 जून को रिपोर्ट सीलबंद कवर में सौंपी जाएगी। 129 जून को ही सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि महिला का गर्भपात कराया जा सकता है या नहीं।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि एकट में सिर्फ भ्रूण नहीं बल्कि मां की जिंदगी के बारे में कहा गया है। अगर बच्चा पैदा होने के बाद कोमा में रहे या कुछ महसूस ना करे तो मां की जिंदगी कैसी रहेगी? वहीं राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि सरकार ने इस मामले में पहले ही सात डॉक्टरों के पैनल का गठन किया है।

33 साल की इस महिला का कहना है कि उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को गंभीर बीमारियाँ हैं, जिसके चलते उसके बच्चे को उम्मीद कम है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मेडिकल बोर्ड का गठन करने का

फैसला किया है और पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान महिला की ओर से कहा गया कि 25 मई को उसकी जांच के दौरान ये पता चला कि गर्भ में पल रहे बच्चे को दिल संबंधी गंभीर बीमारी है। इसके बाद 30 मई को फिर से मेडिकल परीक्षण कराए गए और इस बात की पुष्टि हो गई, लेकिन तब तक उसका गर्भ 20 हफ्ते से ऊपर हो चुका था। इसलिए वो गर्भपात नहीं कराई। अर्जी में कहा गया है कि बच्चे के बचने की उम्मीद कम है इसलिए वो परेशान है। कोर्ट ने कहा कि वो इसके लिए मेडिकल बोर्ड का गठन करेगा ताकि ये पता चल सके कि क्या बच्चे या मां को किसी तरह का खतरा है। कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है और शुक्रवार को सुनवाई तय की है। गौरतलब है कि देश में कानून के मुताबिक 20 हफ्ते के भ्रूण का गर्भपात कराया जा सकता है। इसी को लेकर पहले ही सुप्रीम कोर्ट में कई मामले आ चुके हैं।

मीरवाइज की जीभ काटकर लाने पर 10 लाख इनाम- बीजेपी नेता

बीड, 23 जून (नवभारत टाइम्स)। चैंपियंस ट्रोफी के फाइनल में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वाले कश्मीर के अलगवावादी नेता मीरवाइज उमर फारूख की जीभ काट कर लानेवाले शख्स को मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता ने 10 लाख रुपये देने का ऐलान किया है।

बीजेपी नेता गजराज जाटव ने कहा, अगर मीरवाइज पाकिस्तान से इतना ही प्यार करते हैं, तो उन्हें अपने परिवार के साथ पाकिस्तान ही शिफ्ट हो जाना चाहिए। मैं चैंपियंस ट्रॉफी में भारत से पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने वाले मीरवाइज की जीभ काटकर लानेवाले को 10 लाख रुपये इनाम देने का ऐलान करता हूँ।

अब दोनों भाषा में होगा पासपोर्ट -सुषमा स्वराज

नई दिल्ली, 23 जून (जनसत्ता)। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने शुक्रवार (23 जून) को पासपोर्ट शुल्क में कमी का ऐलान किया। सुषमा ने बताया कि पासपोर्ट शुल्क बनवाने के लिए अब 10 प्रतीशत कम पैसे देने होंगे। लेकिन यह फायदा सबके लिए नहीं है। आठ साल से कम और 60 साल से ज्यादा के लोग ही इसका फायदा उठा सकेंगे। बाकी लोगों को पहले जैसा चार्ज देना होगा। इसके साथ ही सुषमा ने बताया कि पासपोर्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में हुआ करेगा। इसके साथ ही सुषमा ने एक स्टैंप को भी लॉन्च किया। यह स्टैंप पासपोर्ट एकट के 50 साल पूरे होने पर लॉन्च की गई।

इसके अलावा कुछ पुराने नियमों को खत्म भी किया गया है। नए नियम पासपोर्ट रूल, 1980 की जगह। उन नियमों में लिखा था कि अगर 26 जनवरी को या उसके बाद पैदा हुए शख्स को अगर पासपोर्ट बनवाना है तो फिर उसको बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना होगा। नए नियमों से कागजी कार्यवाही भी कम हो जाएगी।

अब साधु या सन्यासी अपने माता-पिता की जगह अपने गुरु का नाम लिख सकता है। पहले यह व्यवस्था नहीं थी। साथ ही तलाक ले चुके लोगों को अपनी पत्नी-पति का नाम लिखना जरूरी नहीं होगा।



रिकॉर्ड, 16 लाख की बोली लगाकर खरीदा 0001 नंबर

नई दिल्ली, 23 जून (जागरण)। गाड़ियों में स्टेसस सिंबल बन चुके वीआइपी नंबर को लेकर लोगों में जबर्दस्त क्रेज है। आलम यह है कि शीकीन लोग इसके लिए कोई भी कीमत चुगाने के लिए तैयार रहते हैं। वीआइपी नंबर 0001 पाने के लिए दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी ने 16 लाख रुपये की भारी भरकम रकम चुकाई है।

इतनी बड़ी रकम देकर 0001 नंबर पाने वाली प्राइवेट कंपनी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से ताल्लुक रखती है। कंपनी में दिल्ली सरकार की ई-नीलामी में बोली लगाकर यह नंबर पाया है। परिवहन विभाग के सूत्रों ने बताया कि '0001' नंबर के लिए प्रदेश में अब तक की सबसे बड़ी बोली लगी।

दिल्ली सरकार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, इतनी बड़ी रकम देकर वीआइपी नंबर खरीदने को लेकर यह दिल्ली का रिकॉर्ड है। इससे पहले नंबर के लिए इतनी बड़ी रकम नहीं

चुकाई गई है। इससे पहले 0001 सीरीज का नंबर पाने के लिए वर्ष 2014 में 12.50 लाख रुपये चुकाए गए थे। यह दूसरी बड़ी रकम है। इससे अगले साल यानी वर्ष 2015 में 0001 सीरीज के नंबर के लिए 12.10 लाख रुपये दिए गए थे।

लोग ऐसे वीआइपी नंबरों के लिए अजीब तर्क देते हैं। मसलन, लोग जन्म तिथि से लेकर ज्योतिषीय और संख्यात्मक संख्या को आधार बनाकर ऐसे नंबर पाने की इच्छा ही नहीं जताते, बल्कि बड़ी से बड़ी रकम भी चुकाते हैं।

परिवहन विभाग के मुताबिक, वीआइपी नंबरों की नीलामी से सरकार के खजाने में विप्रत्यस्थि रूप से पैसे आए हैं। अलग का कहना है कि पिछले छह महीने के दौरान उसे 54.74 लाख रुपये हासिल हुए हैं। इतनी बड़ी रकम पाने के लिए 29 फैंसी नंबर बेचे। वहीं, पिछले साल ऐसे 151 नंबरों की बिक्री कर परिवहन विभाग ने 2.29 करोड़ रुपये कमाए थे।

पहले पेज से आगे

स्मार्ट सिटी योजना

रायपुर को स्मार्ट सिटी बनाने का काम शुरू हो गया है। केंद्र और राज्य सरकार से सौ-सौ करोड़ रुपये मिले हैं। इसमें से 40 करोड़ के काम शुरू करा दिए गए हैं। करीब तीन सौ करोड़ के विकास कार्यों के लिए टेंडर जारी किए जा रहे हैं। उनका कहना है कि रायपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने लगातार काम हो रहे हैं। आगामी कुछ माह में यहां कई काम दिखने भी लगेंगे।

कोविड का पर्चा

सहमति से मीरा कुमार के नाम पर मुहर लग गई। मीरा कुमार की उम्मीदवारी के बाद अब जेडीयू पर निगाहें टिकी हैं कि क्या बिहारी अस्मिता का ख्याल कर नीतीश पाला तो नहीं बदलेंगे, हालांकि जेडीयू की ओर से साफ संकेत है कि वो रामनाथ कोविंद को ही समर्थन देगी।

प्रशासन 60 दिन में कुनकुनी जमीन घोटाले की जांच

कुनकुनी जमीन घोटाले को जांच करने के बाद आयोग के सदस्य हर्षत भाई चुन्नोलाल वासवा ने एक चर्चा के दौरान बताया कि प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों से बातचीत के बाद जल्द ही आदिवासी किसानों को न्याय मिलने की उम्मीद है और उनकी टीम ने कुनकुनी जाकर 60 से अधिक लोगों के बयान लेकर जांच रिपोर्ट बनानी शुरू कर दी है और यह जांच रिपोर्ट 10 दिनों के भीतर आयोग के अध्यक्ष नंदकुमार साय को सौंपेगी। बातचीत के दौरान वासवा ने बताया कि कुनकुनी में जमीन खरीदी बिक्री मामले में बड़ी गड़बड़ियाँ हुई हैं और इसमें अधिकारियों की भी भूमिका सामंती पर संदिग्ध मानी गई है और इसके लिए भी जिला कलेक्टर को दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने को कहा गया है।

उनका कहना था कि इस मामले में सबसे गंभीर बात यह है कि जिन जमीनों की खरीदी बिक्री हुई है उससे कहीं अधिक जमीन पर रेल सार्डिंडंग तथा अन्य निर्माण कार्य करवाये गए हैं और इसमें अधिकारियों की भी भूमिका सामंती पर संदिग्ध मानी गई है और इसके लिए भी जिला कलेक्टर को दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने को कहा गया है।

उनका कहना था कि इस मामले में सबसे गंभीर बात यह है कि जिन जमीनों की खरीदी बिक्री हुई है उससे कहीं अधिक जमीन पर रेल सार्डिंडंग तथा अन्य निर्माण कार्य करवाये गए हैं और इसमें अधिकारियों की भी भूमिका सामंती पर संदिग्ध मानी गई है और इसके लिए भी जिला कलेक्टर को दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने को कहा गया है।

चर्चा के दौरान आयोग के सदस्य ने इस बात को माना कि एक दिन में ग्राम कुनकुनी के उन किसानों के पास बातचीत करने के दौरान यह पाया कि उनकी जमीनें उन्हें अंधेरे में रखकर खरीदी गई है और उनके साथ होने वाले अन्याय के मामले में चोर प्रशासनिक लापरवाही व पुलिस का साथ नहीं मिलने से वे भयभीत भी हैं, इसीलिए बैठक में आए पुलिस अधिकारियों को भी यह कहा गया है कि पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए वे तत्पर रहे और उनकी रिपोर्ट पर तत्काल डराने धमकाने वाले लोगों पर कार्रवाई भी करें।

सर्किट हाउस में चर्चा के दौरान आयोग के सदस्य हर्षत भाई चुन्नोलाल वासवा सहित उनके अन्य प्रशासनिक टीम के सदस्यों ने बताया कि कुनकुनी जमीन घोटाले के अलावा टीम को 6 सौ से अधिक शिकायतें मिली हैं और इनकी भी जांच करने का अधिकार टीम को है। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान राजन कोल वाशरी तथा डीबी पावर कंपनी द्वारा खरीदी गई जमीनों के मामले में भी मौके के अनुसार संबंधित लोगों से बात की गई है और इस मामले में भी जिला कलेक्टर को कार्रवाई हेतु कहा गया है। चूँकि पूरी रिपोर्ट अगर आती है तो उसमें भी दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना था कि प्रशासनिक अधिकारियों तथा पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक में इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया कि जमीन संबंधी मामले को जांच समय सीमा के भीतर हो और कार्रवाई के लिए 60 दिन की सीमा दी गई है। अब टीम के सदस्य उद्योगपतियों से चर्चा के बाद वापस दिल्ली जाकर अपनी जांच रिपोर्ट आयोग के अध्यक्ष को अलग से सौंपेगी।

दो माह में शराब खपत कम, पर आमदनी बढ़ी

सरकार ने एक अप्रैल से शराब दूकानों का संचालन शुरू किया था। दो महीने में पिछले साल की तुलना में 90 करोड़ की अतिरिक्त आय हुई है। जबकि 25 फीसदी देशी-विदेशी शराब की खपत कम हुई है। जबकि शराब की कीमत में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है। देशी शराब की कीमत यथावत है और विदेशी शराब की कीमतों में 5 से 10 फीसदी ही बढ़ोतरी हुई है। राजस्व में बढ़ोतरी तब हुई, जब अफरा-तफरी की स्थिति बन गई थी। अप्रैल के महीने में कई दूकानें नहीं खुल पाई थी। कई बड़ी कंपनियों के शराब उपलब्ध नहीं थे। बावजूद इसके आमदनी बढ़ी है।

आमदनी बढ़ने के कई कारण हैं। पूरी कारोबार पारदर्शी करने की कोशिश चल रही है और इसके बेहतर परिणाम दिखने लगे हैं। बताया गया कि पहले डिस्ट्रलरी से बिना होलोग्राम के शराब निकल जाती थी और कॉचियों के माध्यम से गांवों तक पहुंचती थी। इसके अलावा शराब ठेकेदार भी टारगेट पूरा करने के लिए भी अवैध रूप से शराब बिकवाते थे। इसमें पुलिस और आबकारी अमले का भी सहयोग रहता था। लेकिन सरकारी नियंत्रण में आने के बाद बिना होलोग्राम के डिस्ट्रलरी से शराब नहीं निकल पा रही है। लीकेज रोकने के लिए तीन स्तर पर चेकिंग की

व्यवस्था रखी गई है। मुख्य सचिव ने इसको लेकर कड़े निर्देश दिए हैं। इसके चलते अवैध शराब नहीं निकल पा रही है। आबकारी आयुक्त अशोक अग्रवाल ने 'छत्तीसगढ़' से चर्चा में कहा कि बिना छूटी के डिस्ट्रलरी से शराब नहीं निकलने दिया जा रहा है। साथ ही रिटेल में बिक्री से भी पूरा प्राफिट सरकार को मिल रहा है। कॉचियों पर पूरी तरह से अंकुश लगाया गया है। यानी अवैध शराब बिक्री पूरी तरह से रुक गई है।

उन्होंने कहा कि शराब दूकानों के संचालन में प्लेसमेंट एजेंसियों के कर्मचारियों के वेतन-दूकान किराया और बिजली बिल व परिवहन पर कुल महीने का खर्च 16 करोड़ के करीब है। उन्होंने कहा कि 30 जून तक सभी दूकानों में सीसीटीवी तक लग जाएंगे। इसके अलावा स्कैनर-प्रिंटर आदि भी उपलब्ध हो जाएंगी। शराब बिक्री का बिल भी दिया जाएगा। श्री अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश धीरे-धीरे शराब बंदी की तरफ बढ़ रहा है। सभी पंचायतों में भारत माता वाहिनी का गठन किया जा रहा है। इसके लिए कलेक्टरों को पत्र लिखा गया है और उनका प्रशिक्षण भी होगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि पिछले साल की तुलना में 5 सौ करोड़ से ज्यादा राजस्व मिलने की उम्मीद है। इनमें से खर्चों को काटकर ढाई सौ करोड़ से अधिक शुद्ध आय होगी।

जीएसटी में शुरुआत में अनजाने में हुई गलतियों

कहा कि रिटर्न दाखिल करने में अनजाने में हुई गलतियों और कर अपवंचना के लिए जानबूझकर की गई गलतियों में भेद किया जाएगा। अधिधा ने जीएसटी टाउनहॉल में कहा, हमारी मंशा जीएसटी को सुगम तरीके से लागू करने की है। हमारा इरादा पहले महीने किसी को परेशान करने का नहीं है। अधिधा ने कहा कि हम अनजाने में हुई गलतियों के लिए काफी उदारता दिखाएंगे। यह पूछे जाने पर कि क्या शुरुआती महीनों में सरकार के अंड और जुमाना प्रावधानों में उदारता दिखाएंगी। उन्होंने कहा, उदारता दिखाई जाएगी, लेकिन हम इसकी घोषणा नहीं कर सकते हैं। नियमों के तहत यह व्यवस्था है कि जीएसटी परिपद निश्चित समय के लिए कुछ जरूरतों में हट्टू दे सकती है।

बिलासपुर आबकारी के फर्जीवाड़े...

आदेश में कहीं भी नहीं लिखा है कि चखना सेंटर चलाने की अनुमति आबकारी विभाग देगा।

इस बारे में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के निरीक्षक देवेन्द्र विन्ध्यराज ने बताया कि उनके पास शराब दूकानों के आसपास ठेले लगाने के लिए 40 आवेदन आए थे। इन सबको 100 रुपये की फीस लेकर अनुमति प्रदान कर दी गई है। इनकी सरकारी जमीन को छोड़कर किसी भी स्थान पर चलता-फिरता ठेला चलाने की अनुमति है। शराब की बिक्री, या शराब पिलाने की अनुमति इन्हें नहीं दी गई है। जब उन्हें बताया गया कि चखना सेंटर चलाने वालों ने तो शराब पीने की सुविधा दे रखी है। उन्होंने अस्थायी ठेला लगाने की जगह टेंट लगाकर कुलार, पंखे, टेबल-कुर्सी सहित स्थायी होटल खोल रखा है। टेबल कुर्सियां भी लगा रखी हैं और खुली खाद्य सामग्री भी बेची जा रही है। उन्होंने कहा कि शराब की अवैध रूप से बिक्री या पिलाने का काम हो रहा है तो यह आबकारी विभाग को देखना चाहिए। औषधि प्रशासन विभाग सिर्फ खाद्य सामग्री की शुद्धता की जांच कर सकता है। यदि किसी ने जगह को घेरकर बिक्री शुरू की है तो नगरीय प्रशासन विभाग को कार्रवाई करनी चाहिए।

इधर नगर निगम बाजार विभाग के निरीक्षक अनिल सिंह ने बताया कि चखना सेंटर के किसी भी संचालक ने नगर निगम में ठेला लगाने की कोई अनुमति नहीं मांगी है। अस्थायी ठेलों को मामूली शुल्क के बाद यह लाइसेंस प्रदान किया जाता है। यदि नगर निगम की भूमि पर ठेला लगाया जाता है तो उससे दैनिक आधार पर शुल्क भी वसूल किया जाता है। किसी भी चखना सेंटर ने इस संबंध में कोई आवेदन नहीं दिया है। नगर निगम की भूमि पर यदि ठेला लगाया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी।

मालूम हो कि आबकारी विभाग ने रायपुर मुख्यालय से जो परिपत्र जारी किया है, उसमें खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा नगरीय निकाय से अनुमति लेने की बाध्यता की गई है। लेकिन बिलासपुर में संचालित चखना सेंटर आबकारी विभाग के फर्जी आदेश पर खोल दिए गए हैं। ठेले के नाम पर लाइसेंस लेकर सर्वसुविधायुक्त 'बार' खोल दिया गया है। नगर निगम से कोई अनुमति ली ही नहीं गई है।

माहासमुंद किसान खुदकुशी

बैंक, तहसील आदि से कर्ज नोटिस बकाया आदि कोई दस्तावेज नहीं है। श्री मंथीर ने अपनी कठिनाई या चिंता के संबंध में किसी को नहीं बताया है। उसके छोटे भाई जो पटवारी हैं, ने तहसीलदार को बताया है कि मंथीर ने उसे अपनी आर्थिक कठिनाइयों की कोई जानकारी नहीं दी है।

इस तरह श्री मंथीर आर्थिक तंगी या कर्ज के कारण आत्महत्या नहीं की है। इससे प्रतीत होता है कि उन्होंने किसी परिवारिक कारण आत्महत्या की है।

जबकि परिजनों के मुताबिक मंथीर सिंह खेती किसानी के लिए साहूकार और बैंक के कर्ज की वजह से परेशान था। मृतक किसान की पत्नी और

बेटों देवीसिंह और मोहन के मुताबिक कर्ज के चलते मंथीर सिंह बहुत परेशान थे। उसने उन्नत खेती की इच्छा रखते हुए ट्रैक्टर और थ्रेसर भी खरीदा लेकिन उनकी किश्तें साल भर से बकाया है।

मृतक मंथीर की पत्नी और उनके बेटों ने बताया कि पिछले दो सालों से गांव में अकाल की स्थिति है। अच्छी फसल की पैदावार के लिए इनके पिता मंथीर सिंह ने बोर भी कराया थे लेकिन बोर फेल हो गया। इस वजह से परेशान तो रहते थे लेकिन अपने परिवार और बच्चों को परेशानी ना हो इसलिए गुमसुम रहते थे।

इधर मामले की जांच कर लौटी जिला प्रशासन की टीम ये तो मान रही है कि मृतक किसान पर कर्ज था लेकिन यह मानने से इंकार कर दिया है कि उसने आत्महत्या कर्ज से किया है।

पेज 7 से आगे

जिनकी कहानियों में सेक्स अपील थी और खौफ भी जिसके बाद अराजकता फैल गई। चीजों के दाम बढ़ गए। बेरोजगारी का आलम हो गया। सामाजिक उथल-पुथल मच गई। ब्रिटेन के यूरोप से रिश्ते बेहद खराब होने का जिन्न भी देश ने अपने उपन्यास में किया था। जिसके बाद ब्रिटेन में इमरजेंसी लागनी पड़ी।

उपन्यास में आगे की कहानी में ब्रिटेन की मदद के लिए दोस्त अमरीका आगे आता है। फिर दोनों देश मिलकर यूएसयूके नाम का संगठन बनाते हैं। लेकिन डैपने ने उपन्यास में लिखा कि इस गठबंधन के खिलाफ उसके अपने कस्बे कॉर्नवाल के लोग बग़ावत कर देते हैं।

दिलचस्प बात ये कि 1972 में आए इस उपन्यास के एक साल बाद ही ब्रिटेन यूरोपीय आर्थिक समुदाय का सदस्य बना था। आज जब ब्रिटेन ने यूरोपीय यूनिनन से अलग होने का फैसला किया तो लगता है कि डैपने ने अंड का रजत 1972 में ही बयान कर दिया था।

डैपने 1908 में ब्रिटिश कस्बे कॉर्नवाल में पैदा हुई थीं। उनकी ज्यादातर जिंदगी वहीं गुजरी। उनके पिता सर जेम्स डैपने ड्यू मॉरिया और मां मुरिएल ब्यूमॉंट थी कलाकार थे। जबकि डैपने के दादा जॉर्ज ड्यू मॉरिया कार्टूनिस्ट और लेखक थे। डैपने की मौत 1989 में हुई। आज भी उनके लिखे उपन्यास काफी लोकप्रिय हैं। हाल ही में बनी फिल्म माय कजिन रेशेल इस बात की मिसाल है। ये फिल्म भारत में भी रिलीज हुई थी।

ऐसा क्या हुआ कि पीएम ने बच पाने के बाद

नेताओं को हमेशा वे आगे बढ़ाते रहे। वे एक उदाहरण देते हुए कहते हैं, जो अडवानी नरेंद्र मोदी के लिए अटल बिहारी वाजपेयी के सामने 2002 में अड़ गए, वही अडवानी अपनी ही टीम के सबसे अहम और मजबूत नेता केएन गोविंदाचार्य के लिए वाजपेयी के सामने नहीं अड़े। मुछौटा विवाद के बाद जब गोविंदाचार्य को वाजपेयी हरे हाल में सजा देना चाहते थे तो अडवानी ने उनसे एक बार भी बात करने की जरूरत नहीं समझी। वे आगे कहते हैं, दरअसल, अडवानी के कमजोर होने की शुरुआत उसी दिन से हो गई थी जब वाजपेयी ने गोविंदाचार्य को पार्टी से अलग होने के लिए बाध्य कर दिया था। अडवानी के आसपास जो उस समय के हिस्साब से खुला नेता थे, उन्हें लग गया कि जब अडवानी गोविंदाचार्य जैसे नेता के लिए वाजपेयी के सामने स्टैंड नहीं ले सके तो उनके लिए तो कभी कुछ नहीं करेगी। मोदी के मसले पर अड़कर अडवानी ने इस असर को कम करने की कोशिश की थी।

नरेंद्र मोदी की कार्यशैली को जानने वाले लोग कहते हैं कि वे न तो कभी किसी को माफ करते हैं और न ही कभी भूलते हैं। साल 2009 के लोकसभा चुनाव अभियान में जब अडवानी ने त्वरु कर रहे थे तब मोदी ने उनका पूरा साथ दिया था। लेकिन 2012 के गुजरात विधानसभा में जीत के बाद मोदी ने जब दिल्ली की ओर रुख करने की योजना पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया तो यही अडवानी उन्हें रोकने की कोशिश करने लगे। अडवानी खुला विरोध करने के स्तर पर चले गए। जिस कार्यकारिणी में मोदी को चुनाव अभियान समिति का प्रमुख बनाने की घोषणा की उसमें अडवानी गए ही नहीं। इसके अलावा भी कई मौके ऐसे आए जब मोदी और अडवानी में स्पष्ट दूरी दिखी। कहा जाता है कि अडवानी ने एक और गलती यह की कि न तो उन्होंने मोदी का खुलकर विरोध किया और न ही पूरी तरह से भक्ति की। वे बीच का रास्ता पकड़े रहे। मोदी की कार्यशैली को जानने वाले लोग मानते हैं कि मोदी के साथ ऐसी शैली नहीं चल सकती।

कुछ राजनीतिक जानकार यह भी कह रहे हैं कि अश्वी सदी से अधिक का वक्त राजनीति में गुजारेने वाले अडवानी यह समझ नहीं पाए कि उनके साथ दिखने वाले और उनकी टीम के तौर पर पहचान बनाने वाले अरुण जेटली, वैकेया नायडू, अनंत कुमार और रविशंकर प्रसाद जैसे नेता उनके साथ हैं ही नहीं। जैसे ही राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मोदी का चेहरा आगे करने की कोशिश हुई, ये सभी ने नेता मोदी खेमें में चले गए और नरेंद्र मोदी ने आते ही अपने विश्वस्त अमित शाह को पार्टी अध्यक्ष बनाकर यह सुनिश्चित कर दिया कि पार्टी में अब सिर्फ एक ही खेमा रहेगा और वह है नरेंद्र का खेमा। यही वजह है कि गुमनाम से रामनाथ कोविंद की उम्मीदवारी का विरोध पार्टी में कहीं से भी नहीं हो पा रहा है।

कहा जाता है कि यही अडवानी आज से 15 साल पहले यानी 2002 में उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को राष्ट्रपति बनाना चाह रहे थे लेकिन वाजपेयी ने शुरुआती स्तर पर ही इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। अडवानी औपचारिक प्रस्ताव लेकर वाजपेयी के पास जा भी नहीं सके थे। यह भी जगजाहिर ही है कि एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाने में भी अडवानी की ही प्रमुख भूमिका थी। लेकिन 15 साल पहले देश का राष्ट्रपति तय करने की बैसियत रखने वाले अडवानी प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचने से चुकने के बाद अब इस पद पर पहुंचने का आखिरी मौका भी चूक गए हैं। (सत्याग्रह)

पत्रकारों को अप्रिय सत्य से बचना चाहिए-सुमित्रा

सत्य किंतु अप्रिय नहीं बोलना चाहिए। कभी कभी इसकी भी दरकार होती है।

सुमित्रा महाजन वरिष्ठ भाजपा नेता और सांसद हैं जिन्हें जून, 2014 में लोकसभा अध्यक्ष चुना गया। वे मीरा कुमार के बाद दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष हैं। वे 2014 के लोकसभा चुनाव में इंदौर से आठवां सांसद चुनी गईं।

क्या वसुंधरा वही गलती दोहरा रही हैं जो शिवराज ने लेकिन किसानों का कर्ज माफ करने और लागत के आधार पर उपज का समर्थन मूल्य तय करने जैसी बड़ी मांगें पूरी हुए बिना उन्होंने आंदोलन समाप्त क्यों कर दिया? इस सवाल पर गंदालिया कहते हैं, ये दोनों मांगें अहम हैं। हम इन पर कायम हैं। सरकार ने हमसे वादा किया है कि विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में एक दिन सिर्फ किसानों पर चर्चा की जाएगी। लोकतंत्र में समाधान ऐसे ही निकलते हैं। यदि सरकार समझौते पर अमल नहीं करेगी या किसानों के हितों की अनदेखी करेगी तो हम फिर से आंदोलन करेंगे। उनकी दिल्ली है कि राज्य सरकार के पांच मंत्रियों और भाजपा के प्रदेशअध्यक्ष ने जितने तरह से उनके साथ 11 घंटे चर्चा की, उससे साफ है कि सरकार किसानों के प्रति गंभीर है।

हालांकि प्रदेश के बाकी किसान संगठन भारतीय किसान संघ के तर्कों से इंतफाक नहीं रखते। राष्ट्रीय किसान महापंचायत के अध्यक्ष रामपाल जाट पूरे घटनाक्रम को सरकार और भारतीय किसान संघ के बीच नूरा कुशती करार देते हैं। वे कहते हैं, राजस्थान में भारतीय किसान संघ का आंदोलन हमारे बाद शुरू हुआ और इसमें हमसे कम किसान शामिल हुए। फिर भी सरकार ने केवल उन्हें ही वार्ता के लिए बुलाया। दोनों के बीच जो समझौता हुआ है उससे ही स्पष्ट हो जाता है कि आंदोलन और समझौते की रिक्रूट पहले ही लिखी जा चुकी थी। भारतीय किसान संघ ने आंदोलन समाप्त किया होगा, लेकिन हमारा आंदोलन मांगें पूरी नहीं होने तक जारी रहेगा। आने वाले दिनों में हम इसे और तेज करेंगे।

अखिल भारतीय किसान सभा के अमराराम को भी यह शिकायत है कि लंबे समय से आंदोलनरत होने के बाद भी हमें सरकार ने वार्ता के लिए नहीं बुलाया। वे कहते हैं, जिनके साथ किसान हैं उन्हें तो सरकार ने बातचीत के लायक ही नहीं समझा। सरकार और भारतीय किसान संघ के बीच जो समझौता हुआ है वह आंदोलन को भ्रमित करेगा की साजिश है। प्रदेश की किसान विरोधी सरकार की नीतियों पर पर्दा डालने के लिए आरएएस का किसान संगठन इस तरह के हथकंडे अपना रहा है। चाहे कितनी भी कोशिश हो, किसान भ्रम और तेज करेंगे। मांगें पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। हम इसका धार और तेज करेंगे।

राष्ट्रीय किसान महापंचायत और अखिल भारतीय किसान सभा की प्रतिक्रिया को देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले दिनों में राजस्थान में किसान आंदोलन तीव्र हो सकता है। हालांकि सूबे के गुहमंत्रि गुलाब चंद कटारिया इससे सहमत नहीं हैं। वे कहते हैं, किसानों और सरकार के बीच समझौता हो गया है। सरकार किसानों की समस्याओं के समाधान के प्रति गंभीर है। यदि उपद्रवी तत्व किसानों के नाम कानून को अपने हाथ में लेंगे तो सरकार उनसे पूरी सख्ती से निपटेगी। हमारा प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह से सक्रिय है। (सत्याग्रह)

पेज 9 से आगे

एसिड पीड़िता चंचल की हुई मौत

घटना के 12 दिनों के बाद चारों की गिरफ्तारी हुई थी। इस मामले में चारों आरोपित जेल भी गये थे, लेकिन एक साल पूर्व वे सभी जमानत पर छूट गये थे

चंचल का बिना पोस्टमार्टम कराये ही दाह-संस्कार छितनावां घाट पर कर दिया गया। सूत्रों के अनुसार चंचल के चाचा नरेश पासवान ने इसकी पुष्टि की है। दाह-संस्कार के बाद एसिड उठ रहे हैं कि अब पुलिस इस बात की जांच कैसे करेगी कि उक एसिड पीड़िता की मौत का क्या कारण था? अगर एसिड के प्रभाव के कारण उसकी मौत हुई, तो फिर हत्या के प्रयास के बजाय उक केस हत्या में परिणत हो जायेगा। शव का पोस्टमार्टम होंगे, तो फिर उन्हीं आईपीसी की धाराओं में केस चलेगा। अब का अन्य कारण होने पर पुलिस इस बिंदु पर जांच करने में मदद मिल सकती थी, लेकिन बिना पोस्टमार्टम के ही दाह-संस्कार होने से केस के जांच की दिशा क्या होगी, बताना मुश्किल है।